भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 564

गुरूवार, 21 जुलाई, 2022 /30 आषाढ़, 1944 (शक)

ईपीएफ जमाराशि पर ब्याज कम किया जाना

564. श्री वाइको:
श्री एम. शनमुगम:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ जमाराशि पर ब्याज की दर 8.1% अनुमोदित की है;
(ख) यदि हां, तो इसके चार दशकों में सबसे कम होने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या नौकरीपेशा वर्ग द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध किया गया है, क्योंकि ईपीएफ अक्सर सेवानिवृत्ति के लिए निधि की बचत करने का एकमात्र साधन होता है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशि पर ब्याज की दर को बढ़ाने पर पुन:विचार करेगी; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): जी, हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952, के अनुच्छेद 60(1) के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परामर्श से यथानिर्धारित दर पर प्रत्येक सदस्य के खाते में ब्याज जमा करेगा। ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफ द्वारा अपने निवेश से प्राप्त आय पर निर्भर है और ऐसी आय को केवल ईपीएफ योजना, 1952 के अनुसार वितरित किया जाता है। सीबीटी व ईपीएफ ने ईपीएफ पर वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 8.10 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की थी, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जो अन्य तुलनीय योजनाओं जैसे सामान्य भविष्य निधि (7.10%) / वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (7.40%)/ सुकन्या समृद्धि खाता योजना (7.60%) से अधिक है।

वर्ष 2021-2022 के लिए ईपीएफ जमा के अनुमोदित ब्याज दर (8.10%) पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 570
गुरूवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944 (शक)

एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थी

570. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी निधि संस्वीकृत/आबंटित और उपयोग की गई है;

(ख) देश में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों को कवर किया गया है और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं व क्या उपलब्धियाँ रही हैं और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से पूर्व, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं दिनांक 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।
- भारत सरकार, ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।
- यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई थी और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के लिए पंजीकरण 31 मार्च 2022 तक चालू था।

इस योजना का लक्ष्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना था। इस योजना के तहत कुल पंजीकृत 75.11 लाख है। दिनांक 13.07.2022 तक, देश में 1.50 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

योजना का दायरा बढ़ाने के लिए, पंजीकरण की अंतिम तिथि को नौ माह अर्थात् दिनांक 20.06.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाया गया था।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 576

गुरूवार, 21 जुलाई, 2022 / 30 आषाढ़, 1944 (शक)

नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन और उनका प्रभाव

576. श्री तिरुची शिवा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2019 और 2020 में संसद द्वारा पारित की गई नई श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए कोई तारीख निर्धारित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान में किए गए परिवर्तन से नौकरीपेशा वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): एक विषय के रूप में "श्रम" भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है और संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी सौंपी गई है। चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31, 26, 25 और 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया है।

(ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में भविष्य निधि स्कीम के संबंध में अंशदान की दर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में उपबंधित दर के अनुरूप है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के अंशदान की दरों और उस अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके लिए ऐसी दरें किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू होंगी।

*****

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1264
उत्तर देने की तारीख- 27/07/2022

जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास

1264 श्री नरेश बंसल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भिन्न-भिन्न राज्यों में देश के जनजातीय लोगों के लिए कई योजनाएं औरि कार्यक्रम हैं और क्या इससे जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास में मदद मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से क्या परिवर्तन हुए हैं; और

(ग) इन योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ ले रहे जनजातीय लोगों पुरूषों, दोनों की संख्या का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन – यह योजना जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात्'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' और 'जनजातीय उपज/उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' के विलय के माध्यम से तैयार की गई है।

'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी मूल्य श्रृंखला का विकास', घटक के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, मंत्रालय द्वारा घोषित एमएसपी दरों पर एमएफपी की खरीद के लिए 18 राज्यों को 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके स्थान पर 17 राज्यों ने, योजना के तहत 510 करोड़ रुपये के लघु वनोपज(एमएफपी) की खरीद की है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, योजना के तहत 15 राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 89.15 करोड़ रुपये की निधि जारी की है।

उक्त योजना के घटक "मूल्य श्रृंखला का विकास" को "वन धन योजना" के रूप में पुन: अंशशोधित (रिकॉलिब्रेटेड) किया गया है। यह अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाइयों का लिए 'उद्यम पद्धति' अपनाने पर जोर देता है। प्रत्येक वीडीएसएचजी में 20 वन-निवासी शामिल हैं जो लघु वन उत्पादों के एकत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य

करते हैं। क्षेत्र में वीडीवीके संगठन में एक अंतर्निहित ताकत बनाने के लिए परिकल्पित प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में मानदंडों के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए 300 सदस्यों तक के प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में 15 ऐसे वीडीएसएचजी को शामिल किया गया है। वर्ष भर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत वीडीवीके सदस्यों को कृषि, फूलों की खेती, औषधीय पौधों आदि जैसी अन्य गतिविधियों को करने की अनुमति है।

वन धन योजना के शुभारंभ के बाद से, ट्राइफेड, जो कि योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है, ने देश भर के 25 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों में 9.63 लाख से अधिक लाभार्थियों से जुड़े 3225 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी है। यह परिकल्पना की गई है कि यह हमारे देश के जनजातीय समुदाय की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 921 वीडीवीके कार्य कर रहे हैं और अब तक वीडीवीके द्वारा की गई कुल बिक्री 2304.36 लाख रुपये है। देश भर में स्वीकृत वीडीवीके, वीडीवीके कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों आदि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

ऊपर उल्लिखित जनजातीय विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राज्यों में जनजातीय संग्रहकर्ताओं को आजीविका और आर्थिक वृद्धि प्रदान करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएफपी की खरीद, और योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास, राज्यों में जनजातीय समुदाय को आजीविका प्रदान करने में बहुत योगदान करते हैं। वन धन योजना का उद्देश्य जनजातियों के लिए साल भर आय सृजन करने के अवसर प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर सूक्ष्म-स्तरीय उद्यम सृजित करना है।

जनजातीय उत्पादों/उत्पाद के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन के घटक के तहत जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए जनजातीय उत्पादकों द्वारा बनाए गए विभिन्न जनजातीय उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाना और उनसे विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद करना मुख्य पहल है। उपरोक्त मुख्य पहल को प्राप्त करने के भाग के रूप में, ट्राइफेड "ट्राइब्स इंडिया" आउटलेट्स के नेटवर्क के माध्यम से तथा अपने स्वयं के ई-कॉमर्स पोर्टल के साथ-साथ अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, प्रदर्शनियों जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड जाकर करता है और आदि महोत्सव आदि जैसे कार्यक्रम द्वारा जनजातीय उत्पादों के खुदरा विपणनकरता है। ट्राइफेड के पैनल में शामिल जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** - 2 में दिया गया है।

जनजातीय उत्पादों के विपणन ने जनजातीय उत्पादों को बनाने और ट्राइफेड के पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से आपूर्ति करने के साथ-साथ उन्हें ट्राइफेड की मदद से विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों में बेचने से जनजातीय लाभार्थियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इस विपणन अवसर ने निश्चित रूप से उनकी कुल आय में वृद्धि की है। दूसरे, ट्राइफेड से जुड़े लाभार्थी नियमित रूप से अपने उत्पादों के लिए बाजार का रूझान (एक्सपोजर) प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों में सीधे ग्राहकों के साथ बातचीत करके अपने विपणन कौशल में सुधार करने में सक्षम हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद (संभार) विकास - योजना को वर्ष 2021-22 के दौरान दो वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है जिसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद (संभार) और विपणन में दक्षता में वृद्धि के माध्यम से जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना है। यह योजना विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए तैयार की गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि - योजना को 2021-22 के दौरान अनुमोदित किया गया है और इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करना है। वीसीएफ-एसटी योजना एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने और अजजा के युवाओं द्वारा स्टार्ट-अप योजनाओं का समर्थन और इसे साकार बनाने (इनक्यूबेट) के लिए एक सामाजिक क्षेत्र की पहल होगी। योजना का प्रबंधन विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाली एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किसी भी आय सृजन गतिविधियों/स्व-रोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है:-

क. सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी 50.00 लाख प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष की पूर्ति सब्सिडी (आर्थिक सहायता)/प्रमोटर (प्रवर्तक) अंशदान / मार्जिन मनी के माध्यम से की जाती है।

ख. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई): यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी 2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

ग. स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म (माइक्रो) ऋण योजना (एमसीएफ): यह अनुसूचित जनजाति सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹ 50,000/- तक और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अधिकतम ₹ 5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।

घ.अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सहायता योजना: भारत सरकार की स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, दिसंबर 2020 में "एसटी उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट योजना "नामक एक अलग योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, पात्र एसटी उद्यमियों को स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कुल परियोजना लागत के 15% की सीमा तक एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसटीएफडीसी की ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत राज्य-वार वितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक – 3** में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त पुरुषों और महिलाओं का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक –4**में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2018-19 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से एनएसटीएफडीसी का मूल्यांकन अध्ययन किया। सामाजिक-आर्थिक पहलू पर विचार करते हुए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

सामाजिक-आर्थिक पहलू	कुल प्रतिशत
घरेलू आय में सुधार	82.63
जीवन स्तर में सुधार	42.74
बच्चों को स्कूल भेजना	23.84
स्वास्थ्य सुविधा का लाभ	19.58
बेहतर सामाजिक स्थिति	33.13
कुछ नहीं बदला	10.57
परिवार के सदस्यों का प्रवास काफी कम हुआ	3.88

उपरोक्त के अलावा, सरकार जनजातियों सहित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाओं/कार्यक्रमों को भी लागू कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन, पीएम-किसान, कृषि अवसंरचना कोष, फसल बीमा योजना , कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पशुपालन और डेयरी विभाग का राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी विकास, मत्स्य पालन विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की एनईएसआईडीएस और पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक रूप देना, श्रम और रोजगार मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कीप्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वस्त्र मंत्रालय का राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना और समग्र शिक्षा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि।

अनुलग्नक - 1

दिनांक 27.07.2022को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1264 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक – 1

वीडीवीके कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वीडीवीके की कुल संख्या	लाभार्थियों/वनोंमें एकत्रण कार्य करने वालों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)	सर्वेक्षण	वीडीवीके द्वारा पूरा किया गया प्रशिक्षण	परिचालित वीडीवीके की संख्या	विक्रय की कुल राशि (लाख रु.)
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9	3604	402	198	143	134.24
2	अरुणाचल प्रदेश	85	25500	1275	637	16		0	0
3	असम	302	92119	4530	2640	150	128	128	202.8
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085	2085	111	139	70	753.04
5	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	302	15	15			0	0.4
6	गोवा	10	3000	150	82.5	1	0	1	27
7	गुजरात	116	34424	1721.2	1721.2	116	2	3	0
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5	41.8		0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457	1457		0	0	0
10	लद्दाख	10	3000	150	150	5	0	0	0
11	झारखंड	39	11601	569.7	569.7	39	39	16	20.43
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4	1186.2	14	28	25	7.25
13	केरल	44	12038	597.25	396.125	26	8	16	2.5
14	मध्य प्रदेश	107	32160	1605	1447.5	107	86	62	13.52
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960	2460	156	0	32	107.35
16	मणिपुर	200	60403	2996.8	2075.975	167	139	139	278.12
17	मेघालय	39	11835	584.1	584.1	9		6	0.16
18	मिजोरम	159	46168	2306.55	1444.05	115	44	74	132.79
19	नागालैंड	206	61798	3089.9	2129.9	92	70	110	135.01
20	ओडिशा	170	50094	2479.25	2374.25	115	46	51	348.14
21	राजस्थान	479	144803	7135.6	3753.2	246	19	11	57.28
22	सिक्किम	80	23801	1169.05	1169.05	43	0	7	6.82
23	तमिलनाडु	8	2400	120	112.5	7	7	1	64.35
24	तेलंगाना	17	5100	255	255		17	0	0
25	त्रिपुरा	32	8893	436.95	331.55	19	15	21	7.19
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55	209.55	8	12	5	4.9
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95	127.45	10	11	0	1.07
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35	329.35	22	0	0	0
		3225	963958	47863	33388.95	1996	1008	921	2304.36

अनुलग्नक - 2

दिनांक 27.07.2022 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1264 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक – 2

ट्राइफेड के पैनल में शामिल जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का राज्य	31-03-2022 तक ट्राइफेड के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता	संबद्ध जनजातीय परिवारों की 31.03.2022 को संख्या
1	अहमदाबाद	16	4853
2	बैंगलोर	141	42994
3	भुवनेश्वर	128	12978
4	भोपाल	426	3440
5	देहरादून	123	3503
6	दिल्ली	11	67
7	गुवाहाटी	729	10945
8	हैदराबाद	93	179234
9	जयपुर	123	5694
10	रायपुर	96	11046
11	मुंबई	95	6111
12	रांची	174	10945
13	कोलकाता	28	2083
14	चंडीगढ़	99	5112
	कुल	**2282**	**299365**

अनुलग्नक - 3

दिनांक 27.07.2022 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1264 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक – 3

एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित राज्यवार निधियां और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
		संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1285.03	276	5022.24	12533	1127.19	2006
2	अंडमान और निकोबारी	245.00	7501				
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	970.52	435	814.01	8143
4	असम	58.20	167	5.00	2		
5	बिहार					11.48	955
6	छत्तीसगढ़	932.16	3787	197.49	236	1398.99	1107
7	गुजरात	394.75	98	1442.03	8230	2022.50	11053
8	हिमाचल प्रदेश	40.83	75	13.40	2	14.00	2
9	जम्मू और कश्मीर	446.25	135	408.75	175	1362.87	410
10	झारखंड	633.17	3767	1001.60	10752	1422.00	15523
11	कर्नाटक	47.38	1911	3109.08	3014	1369.31	962
12	केरल	128.31	89	298.76	192	637.30	436
13	मध्य प्रदेश	4176.26	13282	3360.10	5685	2755.00	2373
14	महाराष्ट्र	1167.56	687	37.27	822	209.06	7408
15	मणिपुरी			62.37	65		
16	मेघालय	1745.18	1412	4485.43	35016	694.81	1883
17	मिजोरम	6459.22	4670	3324.18	1399	5450.68	16278
18	नागालैंड	2413.22	51918	1098.72	48240	693.36	48257
19	ओडिशा	2298.15	11230	1794.44	22231	2457.92	30026
20	राजस्थान	2311.39	3993	2205.16	2664	508.60	588
21	सिक्किम	253.30	100	82.11	21	62.56	16
22	तमिलनाडु	28.50	2775	12.50	1609	15.00	1609
23	तेलंगाना	2740.07	8661	5359.23	13065	3111.55	9355
24	त्रिपुरा	71.41	24	2216.28	1056	580.26	2196
25	उत्तर प्रदेश			1.55	4		
26	उत्तराखंड	102.37	23	6.15	2		
27	पश्चिम बंगाल	558.86	4250	275.64	2089	573.92	4515
	कुल	**28536.57**	**1,20,831**	**36790.00**	**1,69,539**	**27292.37**	**1,65,101**

अनुलग्नक - 4

दिनांक 27.07.2022 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1264 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक – 4

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त पुरुषों और महिलाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	आंध्र प्रदेश	251	25	161	12806	2	2004
2	अंडमान निकोबार	5251	2250				
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1		4155	3988
4	असम	167	0	2			
5	बिहार					0	955
6	छत्तीसगढ़	2895	892	177	59	765	168
7	गुजरात	97	1	4576	3654	708	10345
8	हरियाणा	0	0				
9	हिमाचल प्रदेश	20	55	2		2	0
10	जम्मू और कश्मीर	122	13	118	57	344	66
11	झारखंड	47	3720	2	10750	8	15518
12	कर्नाटक	1395	516	1899	1115	488	474
13	केरल	34	55	100	92	108	328
14	मध्य प्रदेश	4328	8954	4571	1114	1857	689
15	महाराष्ट्र	207	480	296	526	5042	2366
16	मणिपुर	0	0	19	46		
17	मेघालय	723	689	17513	17503	1080	803
18	मिजोरम	2006	2664	788	611	3606	12670
19	नागालैंड	22993	28925	19298	28942	19320	28937
20	ओडिशा	549	741	965	21266	102	29924
21	राजस्थान	1779	2214	1724	940	368	220
22	सिक्किम	70	30	21	0	11	5
23	तेलंगाना	1380	7281	387	12678	1166	8189
24	तमिलनाडु	1734	1041	830	779	830	779
25	त्रिपुरा	17	7	803	253	1230	966
26	उत्तराखंड	12	11	2	0		
27	उत्तर प्रदेश	0	0	1	3		
28	पश्चिम बंगाल	372	3878	66	2023	210	4305
	कुल	**46449**	**64442**	**54322**	**115217**	**41402**	**123699**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1371
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

देश में श्रम बल भागीदारी दर

1371. श्री सुजीत कुमारः
श्री तिरुची शिवाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक कम श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के शहरी/ग्रामीण-वार और स्त्री-पुरुष-वार आंकड़ो सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इसके पीछे के कारणों और महामारी के कारण श्रम बाज़ार में अवसंरचनात्मक परिवर्तनों पर हुए दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए कोई विशेष और व्यापक अध्ययन कराने की योजना है; और

(घ) सरकार द्वारा एलएफपीआर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की वर्ष-वार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	पुरुष	महिला	योग
	ग्रामीण		
2017-18	76.4	24.6	**50.7**
2018-19	76.4	26.4	**51.5**
2019-20	77.9	33.0	**55.5**
2020-21	78.1	36.5	**57.4**
	शहरी		
2017-18	74.5	20.4	**47.6**
2018-19	73.7	20.4	**47.5**
2019-20	74.6	23.3	**49.3**
2020-21	74.6	23.2	**49.1**
	अखिल भारत		
2017-18	75.8	23.3	**49.8**
2018-19	75.5	24.5	**50.2**
2019-20	76.8	30.0	**53.5**
2020-21	77.0	32.5	**54.9**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़े सामान्तया श्रम बल भागीदारी दर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी शहरी क्षेत्र के लिए त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान, शहरी श्रम बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अप्रैल-जून, 2020 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़कर 20.8% हो गई। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की बाद की तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ श्रम बाजार के संकेतकों में तेजी से सुधार दिखाई दिया। शहरी क्षेत्र के लिए पीएलएफएस (जनवरी-मार्च, 2022) की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, चालू सप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगारी दर घटकर 8.2% हो गई जो अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

एक विषय के रूप में "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर कोड); सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच कोड),के तहत, नियम बनाने की शक्ति, यथोचित केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के पास निहित है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम बढाते हुए, केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2455

सोमवार, *1* अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)

राष्ट्रीय पेंशन योजना

2455. श्री विनायक राऊत:
श्री अरविंद **गणपत** सावंत:
श्रीमती रंजनबेन **धनंजय** भट्ट:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) के पेंशनभोगियों को वर्तमान में नई पेंशन की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(2) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकार के मासिक योगदान के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(3) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मासिक योगदान के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(4) ईपीएस-95 के तहत पेंशनभोगियों को उपयुक्त पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं; और

(5) क्या सरकार एनपीएस को आसान बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक 'परिभाषित अंशदायी-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि की समग्र राशि (i) कर्मचारियों द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान से तथा (ii) वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर पर केंद्र सरकार द्वारा 15,000/-रुपए प्रति माह तक की राशि के बजट सहयोग के अंशदान से तैयार होती है। इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचयन से किया जाता है। निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है जैसा कि ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत अधिदेशित है तथा 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार बीमांकिक घाटा है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्न सूत्र के अनुसार किया जाता है:

पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन / 70

तथापि, सरकार ने ईपीएस, 1995 के तहत पहली बार वर्ष 2014 में पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम 1,000 /- रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए सालाना प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% के बजटीय सहयोग के अतिरिक्त थी।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ.सं.5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर के तहत परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (पुरानी पेंशन योजना) के स्थान पर शुरू किया गया था। एनपीएस का संचालन पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत किया जाता है। एनपीएस को केंद्र सरकार सेवा की सभी नई भर्तियों के लिए 1 जनवरी, 2004 से अनिवार्य बनाया गया था (सशस्त्र बलों को छोड़कर)। इसे 1 मई, 2009 से 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी नागरिकों (निवासी अथवा प्रवासी) के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर प्रारंभ किया गया है।

(ख) केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 01.01.2004 से एनपीएस में सरकार का मासिक अंशदान मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत था जिसे 01.04.2019 से बढ़ाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों के लिए 01.01.2004 से एनपीएस में सरकार का मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत था जिसे 01.04.2019 से बढ़ाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

(घ) पहले ईपीएस, 1995 के तहत संराशीकरण के बाद सामान्य पेंशन की बहाली के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 के जी.एस.आर.132 (ई) के द्वारा उन सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने पूर्ववर्ती ईपीएस, 1995 के पैरा 12क के तहत 25.09.2008 को या उससे पहले इस तरह के संराशीकरण की तारीख से पंद्रह साल पूरे होने के बाद पेंशन के संराशिकरण का लाभ प्राप्त किया था, सामान्य पेंशन की बहाली हेतु निर्णय अधिसूचित किया था।

(ड.) भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को सुव्यवस्थित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें पहले के वेतन + डीए के 10% को वेतन + डीए के 14% तक के सरकार के अंशदान को बढ़ाना, पेंशन फंड के चयन और ग्राहकों को निवेश के पैटर्न की स्वतंत्रता, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस अंशदान की गैर-जमा या विलंबित जमा के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर में छूट और निर्गम पर एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा में पहले के 40% को बढ़ाकर 60% करना, संपूर्ण निकासी को आयकर से छूट प्रदान करना शामिल है। एनपीएस के टियर- II के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की

धारा 80 सी के तहत आयकर के प्रयोजन के लिए 1.50 लाख रुपये तक की कटौती के लिए कवर किया गया है, बशर्ते कि 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि हो।

इसके अलावा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस के तहत सभी लेन-देन संबंधी गतिविधियों हेतु एनपीएस ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें सेवानिवृत्ति पर सिस्टम से निर्गम, डिजिटलीकरण के माध्यम से एनपीएस ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट) सुविधा, जैसी गतिविधियों के माध्यम से एक आसान और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना, कागजरहित ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करने के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण, ऑफलाइन आधार आधारित केवाईसी और निकास प्रक्रिया एवं वार्षिकी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है ।

*****